

यदी आप को नियमित दैनिक सुफ्फा का अंक प्राप्त नहीं हो रहा है या फिर आप दैनिक सुफ्फा हासिल करना चाहते हैं तो इस नम्बर पर संपर्क करें- 7620469536 औरंगज़ेब हुसैन (कार्यकारी संपादक)

सुफ्फा

मुख्य संपादक: सज्जाद हुसैन अल्ताफ हुसैन
R.N.I. MAHHIN/2017/70719



Email:suffaakl@gmail.com

■ साल ८ वा ■ अंक १४६ ■ तारीख, बुधवार १६ जुलाई २०२५

■ अकोला ■ पृष्ठ ४ ■ मूल्य ३ रुपये

२१ जुलाई से संसद का मानसून सत्र केंद्र सरकार ला सकती है ८ नए बिल



संशोधन बिल, जिओहेरिटेज साइट्स एंड जिओरिलक्स प्रिजर्वेशन एंड मेटेनंस बिल, आईआईएम संशोधन बिल भी लाए जा रहे हैं। इनके अलावा मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल और जनविश्वास संशोधन बिल भी पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान कुल १६ विधेयक पारित किए जाने हैं, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा में लंबित तीन-तीन विधेयक शामिल हैं। इनमें से तीन लोकसभा द्वारा पारित हो चुके हैं और राज्यसभा में लंबित हैं, जबकि तीन लोकसभा में पेश किए गए हैं और वहां लंबित हैं। इन विधेयकों में मर्चेंट शिपिंग विधेयक, इंडियन पोर्ट्स बिल २०२५, तटीय नौवहन विधेयक २०२५

और लदान बिल विधेयक २०२५ शामिल हैं। इसके अलावा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की अवधि हर छह महीने में संसद से अनुमोदित करानी होती है। वर्तमान अवधि १३ अगस्त को समाप्त हो रही है। साथ ही मणिपुर की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक भी संसद में लाया जाएगा, जो राज्य के वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत २१ जुलाई से होगी और इसका समापन २१ अगस्त को होगा। इस दौरान १३ और १४ अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कोई बैठक नहीं होगी। वैसे सत्र के (शेष पृष्ठ ३ पर)

महाराष्ट्र विधानसभा में तीखी नोक-झोंक: उद्धव गुट ने सवाल उठाए तो शिंदे गुट ने लगाए गंभीर आरोप

मुंबई-

महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट के विधायक आपस में भिड़े। बताया जा रहा है कि वांद्रे में स्थित ४२ एकड़ जमीन और शोपइपट्टी के पुनर्वसन से जुड़े मुद्दे को लेकर आमना-सामना हुआ था। उद्धव गुट विधायक वरुण सरदेसाई ने इस मुद्दे को उठाया था, तब शिंदे गुट के मंत्री शंभूराज देसाई ने पलटवार करते हुए आक्रामक हो गए थे। उनके अलावा आदित्य ठाकरे ने भी सदन में तीखी बहस की। मंत्री ने कहा, 'मुझे इस मुद्दे में ज्यादा गहराई में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक २०१९ से २०२२ के बीच तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मामले में एक बार भी केंद्र से कोई

पत्राचार नहीं किया।' इतना बोलते पर ही सदन में चारों ओर हंगामा मच गया था। मंत्री ने आगे कहा, 'हमने २०२२ में सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर चार बार पत्र भेजे हैं। आपने क्या किया? हमारी बदनामी मत करो। बताओ, आपने क्या किया? अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो फिर तुम्हारी नाक में मिर्ची क्यों लगी?' रेवले की जमीन को लेकर विरोध भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि इस मुद्दे का प्रभाव मेरे विधानसभा इलाके पर भी पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब धारावी को फिर से बसाने के लिए रेलवे की जमीन वापस ले ली जा सकती है तो फिर इस जमीन (वांद्रे) को लेकर विरोध क्यों हो रहा है? मैं पूछता हूँ की राज्य सरकार इस मामले को लेकर क्या प्रयास



करेंगे? शंभूराज ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर मैं अपने कार्यालय में बैठक करूंगा। शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्या

हमें विशेषाधिकार हनन करने का प्रस्ताव लाना चाहिए? वहीं, उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि दूसरे विभाग का मंत्री अपने विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग पर बयान दे सकता है, लेकिन इसके लिए सदन अध्यक्ष की अनुमति होना जरूरी होनी चाहिए।

लंबे इंतजार के बाद अमीना को मिली झूठा आवास योजना की किस्त, लोक शिकायत एक्ट से कैसे मिला न्याय



पटना-

बिहार सरकार ने न्याय के साथ विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, २०१५ को ५ जून २०१६ से प्रभावी किया गया था, जिसके बाद से राज्य में प्रभावी प्रशासनिक सुधार देखने को मिला है। यह अधिनियम आमजन की आवाज़ को ताकत देता है। लोग समयबद्ध तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत ६० कार्य दिवसों के भीतर शिकायतों का समाधान अनिवार्य है। खाड़िया जिले के रामपुर गोगरी गांव की निवासी अमीना खातून, पति मोहम्मद राशिद को सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि की पहली किस्त का इंतजार था। जब उन्हें ब्लॉक कार्यालय से अगली किस्त के लिए मकान निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश मिला, तो वह स्तब्ध रह गई क्योंकि उन्हें अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। जांच करने पर पता चला कि उनकी आवास योजना की पहली किस्त गलती से किसी पूर्व ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित हो गई थी, और बैंक ने उस राशि को सीधे ऋण बसूली में समायोजित कर लिया। जब अमीना को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तत्काल बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल (शेष पृष्ठ ३ पर)

आइए, हम फिर से साथ आ जाएं.. बीजेपी नेता से बोले उद्धव, क्या जवाब मिला?

मुंबई-

महाराष्ट्र की सियासत में २० साल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ चुके हैं। हालांकि दोनों के एक साथ आने का कारण भले ही राजनीतिक रहा हो पर साथ आने से दोनों की ताकत में जरूर इजाफा हुआ है। हिंदी और मराठी के विवाद महाराष्ट्र में इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इस बीच कभी शिवसेना में रहे प्रवीण देकर और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की चर्चा जोरों पर हैं। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रवीण देकर के बीच सोमवार को विधान भवन परिसर में मानसून सत्र के दौरान बातचीत हुई। हालांकि ये बातचीत राजनीति से बिल्कुल अलग थी। यही कारण है कि इसकी चर्चा हर ओर हो रही है। प्रवीण देकर ने शिवसेना उबाठा के नेता के साथ बातचीत के दौरान खुद को शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का १०० प्रतिशत सच्चा शिव सैनिक बताया। जबकि, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता से कहा कि अगर वह वास्तव में मराठी भाषी लोगों के लिए काम



करना चाहते हैं तो उन्हें उनकी पार्टी में लौट आना चाहिए।

प्रवीण देकर कभी शिव सेना में उद्धव ठाकरे के साथ ही रहे हैं। हालांकि बाद में वह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) में शामिल हो गए और अब वह बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हैं। देकर ने जब स्व-पुनर्विकास परियोजना अध्ययन समूह पर एक रिपोर्ट ठाकरे को सौंपी तो शिवसेना (उबाठा) नेता ने उनसे कहा, अगर आपकी कोशिशें सच्ची हैं तो मैं आपसे बात करने के लिए हमेशा तैयार

हूँ, इस पर बीजेपी नेता ने कहा, मैं पूरी तरह से बालासाहेब (ठाकरे) का शिवसैनिक हूँ। मेरी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। ठाकरे ने इस पर चुटकी लेते हुए उपमुख्यमंत्री एकेनाथ शिंदे की अगुवाई वाली भाजपा की सहयोगी शिवसेना पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, तो फिर उन फर्जी शिवसैनिकों से भी कहिए कि वे ईमानदार रहें। अगर आप मराठी लोगों के हित में सचमुच काम कर रहे हैं तो हम साथ काम कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए आपको शिवसेना में वापस

आना होगा। देकर ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, जरूर आइए, हम सब एक बार फिर साथ आएँ, हालांकि प्रवीण देकर के इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में प्रवीण एक बार फिर शिवसेना का हाथ थाम लें। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पहले भी शिवसेना में रह चुके हैं। प्रवीण देकर के इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में प्रवीण एक बार फिर शिवसेना का हाथ थाम लें। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पहले भी शिवसेना में रह चुके हैं। देकर ने साल २००५ में शिवसेना का साथ छोड़कर राज ठाकरे की मनसे का हाथ थाम लिया था। देकर ने साल २००९ में मगधाने विधानसभा सीट मनसे की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि २०१४ के चुनाव में देकर को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के महज एक साल बाद ही प्रवीण ने मनसे को अलविदा कह दिया था और अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ की थी।

इतिहास के बाद विज्ञान का पुनर्लेखन?: एनसीईआरटी की किताब में आयुर्वेद, चेचक का पारंपरिक इलाज

नई दिल्ली-

एनसीईआरटी की कक्षा ८ के लिए तैयार की गई नई विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में भारतीय वैज्ञानिक 'विरासत और खोजों' को विशेष रूप से शामिल किया गया है। प्राचीन दार्शनिक आचार्य कणाद की 'पारमाणु' (अणु) की अवधारणा से लेकर आधुनिक टीकों से पहले चेचक से बचाव के लिए अपनाई गई पारंपरिक विधि 'वैरियोलेशन' का भी उल्लेख किया गया है। किताब में 'कांस्थ' (तांबा और टिन का मिश्रधातु) जैसे मिश्रधातुओं के औषधीय उपयोग, आयुर्वेदिक औषधियों में जल व तेल जैसे प्राकृतिक विलायकों के इस्तेमाल और आधुनिक टीकों से पहले

चेचक से बचाव के लिए अपनाई गई पारंपरिक विधि 'वैरियोलेशन' का भी उल्लेख है। हिंदुस्तान टाइम्स ने कक्षा ८ की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में किए गए बदलावों पर एक विस्तृत रिपोर्ट की है। रिपोर्ट के अनुसार, पाठ्यपुस्तक में 'क्या आपने कभी सुना है?' और 'हमारी वैज्ञानिक विरासत' जैसे खंडों के जरिये आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को भारत की कथित प्राचीन वैज्ञानिक खोजों से जोड़ा गया है। एक खंड में रोचक तथ्य दिए गए हैं, तो दूसरे में उन संस्थानों और व्यक्तियों का जिक्र है जिन्होंने वैज्ञानिक सोच के विकास में योगदान दिया। एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जे.एस. राजपूत ने कहा, '२ अक्टूबर, १९९६ को



जारी यूनेस्को की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि २१वीं सदी की शिक्षा अपने देश की संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। यह महात्मा गांधी की सोच के भी अनुरूप है, जिन्होंने कहा था, 'मैं अपने घर की खिड़कियों और

दरवाजे ताजी हवा के लिए खुली रखूंगा, लेकिन अपना घर उड़ने नहीं दूंगा।' राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० भी यही कहती है कि छात्रों को अपनी परंपराओं, इतिहास और वैज्ञानिक खोजों के बारे में जानना चाहिए।

एनसीईआरटी ने इसे पाठ्यपुस्तक में शामिल कर सराहनीय कार्य किया है। '२२८ पन्नों की यह नई किताब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी २०२०) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफएससी २०२३) के अनुरूप तैयार की गई है। इसमें कुल १३ अध्याय हैं। विभिन्न अध्यायों में किए गए बदलाव 'स्वास्थ्य: सबसे बड़ा खजाना' नामक एक अध्याय में 'हमारी वैज्ञानिक विरासत' खंड के अंतर्गत बताया गया है कि 'आधुनिक टीकों के आने से पहले भारत में चेचक से बचाव के लिए 'वैरियोलेशन' नामक पारंपरिक पद्धति अपनाई जाती थी, जिसमें संक्रमित घाव (शेष पृष्ठ ३ पर)

फाइव स्टार होटल और कई अश्लील वीडियो.. नासिक में क्या हनी ट्रैप में फंस गए अधिकारी और मंत्री?



नई दिल्ली-

महाराष्ट्र के नासिक शहर से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें राज्य के ७२ से अधिक वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व और मौजूदा मंत्री के हनी ट्रैप प्रकरण में फंस होने की आशंका जताई जा रही है। यह खुलासा नासिक दौरे पर आए राज्य के एक बड़े नेता ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान किया, जिसके बाद नासिक के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है। सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला नासिक के एक पांच सितारा होटल में घटित

हुआ। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह एक योजनाबद्ध हनी ट्रैप था या फिर कुछ अधिकारियों की निजी रासलीलाओं का मामला है, लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार, इस प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में एक महिला ने एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान कुछ आपतिजनक वीडियो सामने आए, जिनमें कई अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। पुलिस (शेष पृष्ठ ३ पर)

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग बांध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज



नई दिल्ली-

अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों के ग्रामीणों ने सोमवार (१४ जुलाई) को अपर सियांग के गेकू गांव में एक रैली में भाग लिया और प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च निकाला। यह लगभग १२,००० मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है, जो पूर्वोत्तर

अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित है। स्थानीय समुदाय कई वर्षों से राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही जलविद्युत परियोजना और बांध के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पैतृक भूमि से विस्थापन, जिससे वे सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, तथा बांध के कारण क्षेत्र में होने (शेष पृष्ठ ३

पुणे की पत्रकार स्नेहा बर्वे पर रिपोर्टिंग के दौरान जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार नहीं

पुणे-

पुणे के पास ४ जुलाई, २०२५ को एक कस्बे में नदी के किनारे अवैध निर्माण गतिविधि की रिपोर्टिंग कर रही पत्रकार स्नेहा बर्वे पर दिनदहाड़े एक जघन्य हमला किया गया। इस हमले में उन्हें लकड़ी की छड़ से तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गईं। इस मामले के मुख्य आरोपी पांडुरंग सखाराम मोर्डे, जो राजनीतिक संबंध वाले एक स्थानीय व्यवसायी हैं, को पुलिस द्वारा अभी तक

गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मालूम हो कि इस खौफनाक हमले का वीडियो समर्थ भारत अखबार और एसबीपी यूट्यूब चैनल की संस्थापक-संपादक बर्वे द्वारा महाराष्ट्र के पुणे जिले के मंचर कस्बे के पास निगोडवाड़ी गांव में नदी के किनारे अवैध निर्माण गतिविधि के बारे में वीडियो पर बोलने से शुरू होता है। जब अचानक मोर्डे तेजी से एक लाठी उठाकर उन पर हमला कर देते हैं। वे मदद के लिए बार-बार चीखती-चिल्लाती हैं लेकिन



बावजूद इसके उन पर हमला जारी रहता है। पत्रकार बर्वे को उस बड़ी

रॉड से तब तक पीटा गया, जब तक वह बेहोश नहीं हो गईं। इस हमले की

रिकॉर्डिंग कर रहे कैमरामैन एजाज शेख के साथ भी मारपीट की गई, जब मोर्डे के सहयोगियों को पता चला कि हमले की वीडियो ग्राफी की जा रही है। उन्हें बचाने आए राहगीरों को भी बुरी तरह पीटा गया, जिसमें एक का हाथ टूट गया, जबकि दूसरे की नाक टूट गई। बर्वे को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और फिर पिंपरी चिंचवाड़ के डीवाई पाटिल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके सिर और पीठ में चोटें आई हैं, और उनके सिर के

सीटी स्कैन में अंदरूनी चोट और सूजन दिखाई दे रही है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फ्री स्पीच कलेक्टिव से बात करते हुए बर्वे ने कहा कि वीडियो देखने तक वह हमले की भयावहता को समझने की स्थिति में भी नहीं थीं। बर्वे ने बताया कि आरोप है कि मोर्डे ने नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी कर दी है, जिससे सब्जी मंडी में पानी भर सकता था। उन्होंने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हमला होगा। मैं पहले भी (शेष पृष्ठ ३ पर)

अग्रलेख



बिहार: चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि

३५.६ लाख नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे

भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन के बाद ३५.६ लाख से ज्यादा मतदाता मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। इनमें वे लोग शामिल हैं, जो या तो मृत पाए गए हैं, या बिहार से बाहर चले गए हैं, या फिर उनके नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज हैं। बिहार में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) पर अपनी नवीनतम विज्ञापित में चुनाव आयोग ने कहा कि उसके अधिकारियों द्वारा दो चरण के 'घर-घर जाकर' किए गए सर्वेक्षणों के बाद कुल मतदाताओं में से ८८.१८% ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। मालूम हो कि राज्य में मतदाता सूची में संशोधन की ये कवायद इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले शुरू की गई है। आयोग के अनुसार, यह ८८.१८% संख्या बिहार में ७,८९,६९,८४४ (७.८ करोड़) मतदाताओं का आंकड़ा दर्शाती है। इनमें से ८३.६६% या ६,६०,६७,२०८ (६.६ करोड़) मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने अन्य मतदाताओं के विवरण में कहा है कि राज्य के १.५९% मतदाता (१२,५५,६२०) मृत पाए गए हैं, २.२६% स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं (१७,३७,३३६), और ०.७३% मतदाता (५,७६,४७९) एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। कुल मिलाकर, यह संख्या ३५,६९,४३५ यानी ३५.६ लाख से ज्यादा मतदाता है। इस प्रकार, एसआईआर प्रक्रिया के तीसरे चरण के शुरू होने से पहले ही बिहार में मतदाता सूची से ३५.६ लाख से ज्यादा नाम हटा दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची का मसौदा १ अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। इस बीच चुनाव आयोग ने अभी इस चरण में उन लोगों तक पहुंचने के लिए अखबारों में इस प्रक्रिया का विज्ञापन देना शुरू कर दिया है, जो अस्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं। कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर एसआईआर प्रक्रिया पर हिंदी भाषा में विज्ञापन दिए हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि ऐसे मतदाता अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से या <https://voters.eci.gov.in> पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से (एसआईआर दिशानिर्देशों के पैरा ३(डी) के अनुसार) आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वे अपने फॉर्म अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से या वॉट्सएप या इसी तरह के किसी भी ऑनलाइन माध्यम से संबंधित बीएलओ को भी भेज सकते हैं। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग द्वारा अचानक एसआईआर जारी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। अदालत ने इस संबंध में आयोग से २८ जुलाई तक जवाब मांगा है। इस दौरान चुनाव आयोग ने ११ दस्तावेजों की एक सूची भी बनाई है, जो मतदाता इस प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने आयोग से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी इस सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा था। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, कई जगहों पर बीएलओ (ब्लॉक स्तरीय अधिकारी) वैध दस्तावेज रखने वालों से भी केवल आधार कार्ड ही ले रहे हैं।

हुसेनी

कमिली रेस्टॉरंट

शादी तथा पार्टी की ऑर्डर लिये जाते है

हुसेनी कॉम्प्लेक्स, वाशिम बायपास रोड, अकोला. ९४२२९६०११२

क्लेज - नॉनक्लेज लजीज व्यंजन, औरों के मुकाबले बेहद सस्ता और स्वादिष्ट

प्रोफ़ा. हाजी सज्जाद हुसेन

यह समाचार पत्र मालक, प्रकाशक **सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन**, इन्होंने मुद्रक - औरंगजेब हुसेन सज्जाद हुसेन, मुद्रण स्थल- **हुसेनी प्रिटींग प्रेस**, हुसेनी कॉम्प्लेक्स, वाशिम बायपास, अकोला ता. जि. अकोला (महाराष्ट्र) यहा छापकर ऑफिस : **दैनिक सुपफा**, जनता भाजी बाज़ार, अकोला जि. अकोला यहां से प्रकाशित किया. **संपादक : सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन** प्रकाशित लेख और खबरों से संपादक सहमत है ऐसा नहीं. (पी.आर.बी.अक्ट के अनुसार संपादक उत्तरदायी होंगे) सभी प्रकरण अकोला न्यायालय के अंतर्गत रहेंगे.

निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए आगे आए मुस्लिम धर्मगुरु, यमन में बंद कमरे में मीटिंग



दोहा-

यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की तारीख १६ जुलाई तय है। निमिषा प्रिया को बचाए जाने की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निमिषा की फांसी रोकने के लिए सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। हालांकि भारत के ग्रांड मुफ्ती कंठपुरम एपी अबूबकर मुसलियार के हस्तक्षेप के बाद निमिषा के बचने के एक उम्मीद जगी

है। ग्रांड मुफ्ती के अनुरोध पर यमन में विचार-विमर्श चल रहा है। जिसका नेतृत्व यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर कर रहे हैं। शेख हबीब के प्रतिनिधि हबीब अब्दुरहमान अली मशहूर ने उत्तरी यमन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने यमनी सरकार के प्रतिनिधि, आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, तलाल के भाई और आदिवासी नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि इस बैठक में क्या बात हुई अभी इस बारे में जानकारी नहीं

कट्टर यहूदियों की पार्टी का नेतन्याहू को झटका, गठबंधन टूटने के बाद कुर्सी पर खतरा



तेल अवीव:

इजराइल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। गाजा जंग और इजराइल के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी को भी खतरा खड़ा हो गया है। इजराइल की अति-रूढ़िवादी पार्टियों में से एक यूनाइटेड तोरा जुडाइज़्म ने कहा कि वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग हो रही है, क्योंकि येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने नेतन्याहू

सरकार विफल रही है।

यूनाइटेड तोरा जुडाइज़्म के सात सांसदों में से छह ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी डेगेल हातोरा और अगुदत यिसरायल गुटों से आते हैं। बता दें कि येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा में शामिल करने के आदेश के बाद यूनाइटेड तोरा जुडाइज़्म के अध्यक्ष यित्ज़ाक गोल्डकर्नॉफ ने एक महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। U.T.J के इस कदम के बाद नेतन्याहू को १२० सीटों वाली नेसेट में ६१ सीटों का मामूली बहुमत बचेगा। अभी ये साफ नहीं है कि

फांसी टल गई, लेकिन बड़ा सवाल- यमन जेल में बंद निमिषा प्रिया का अब क्या होगा?

नई दिल्ली-

अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के आरोप में सना जेल में बंद भारत की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है। मंगलवार (१६ जुलाई) को यमन की शरिया अदालत ने निमिषा को सजा-ए-मौत देने का फैसला सुनाया था, लेकिन बातचीत की वजह से स्थानीय जेल अदालत ने इसे फिलहाल के लिए टाल दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि आगे निमिषा प्रिया का क्या होगा? क्या निमिषा की मौत की सजा बरकरार रहेगी या उसे रिहा किया जाएगा? निमिषा प्रिया साल २०१७ से ही सना जेल में बंद है। केरल की पल्लकड़ की रहने वाली निमिषा नर्स की नौकरी करने साल २००८ में यमन गई थी।

सवाल- निमिषा प्रिया का क्या होगा, ५ प्वाइंट्स

१. निमिषा प्रिया को तलाल हत्या केस में सजा-ए-मौत सुनाई गई है। इस सजा को सिर्फ अभी टाला गया है। निमिषा को बरी नहीं

किया गया है। शरिया कानून के तहत ब्लड मनी की रकम लेने के बाद कोई पीड़ित किसी दोषी को माफ कर सकता है। निमिषा के परिवार की कोशिश ब्लड मनी के जरिए केस को सुलझाने की है। २. तलाल के परिवार ने ब्लड मनी को लेकर शुरूआती पेशकश ठुकरा दी है। इस पेशकश के मुताबिक निमिषा के परिवार की तरफ से तलाल के परिवार को ८.५ करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव था। हालांकि, अब नए सिरे से बात हो रही है। बात को ग्रांड मुफ्ती अबूबकर लीड कर रहे हैं।

३. जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अबूबकर अहमद ने २ प्रस्ताव दिए हैं। पहला, ब्लड मनी लेकर उसकी मृत्युदंड की सजा को या तो कम कर दिया जाए या उसे पूरी तरह क्षमा कर दिया जाए। फैसला तलाल के परिवार को लेना है।

४. ब्लड मनी पर बात की वजह से ही फिलहाल निमिषा प्रिया की फांसी टाली गई है। अब देखा यह



है कि तलाल का परिवार क्या फैसला करता है। तलाल का परिवार अगर निमिषा को क्षमादान दे देता है तो निमिषा जेल से बाहर आ सकती है।

५. तलाल का परिवार अगर मृत्युदंड को ही कम करने का फैसला करता है तो निमिषा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ सकता है। भारत से गए प्रतिनिधियों की कोशिश निमिषा को किसी तरह बचाने की है। निमिषा की मां ने सीएनएन से बात करते हुए कहा है कि निमिषा से मैं

है, लेकिन ग्रांड मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद निमिषा के बचने की उम्मीद फिर से जगी है।

यमन में एक बड़ा संकट

इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यमन में एक बड़ा संकट है, जिसमें वहां भारतीय एंबेसी का न होना भी शामिल है, साथ ही कहा कि सरकार के पास इस मामले में हस्तक्षेप करने की सीमित क्षमता है।

सरकार मृत्युदंड से बचने की पूरी कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने अभियोजक को एक पत्र भेजा था और शेख के जरिए से बातचीत करने की कोशिश की थी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जब तक मृतक का परिवार दया नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अन्य बातचीत का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

क्यों दी जा रही है निमिषा प्रिया को फांसी?

पल्लकड़ जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली निमिषा प्रिया २००८ में रोजगार के लिए यमन गई थी। २०२० में यमन के एक शांति की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराया गया था। यह शांति निमिषा का बिजनेस पार्टनर था। यह घटना जुलाई २०१७ में घटी थी। पिछले साल नवंबर में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी अपील खारिज कर दी थी और देश के सरकारी अभियोजक ने अब आदेश दिया है कि उसे मंगलवार १६ जुलाई को फांसी दे दी जाए।

कहीं बंदूकें चल रही, कहीं हो रहे साइबर हमले छुपचाप शुरू हुआ तीसरा विश्वयुद्ध



मास्को:

रूस से जुड़े एक बड़े रणनीतिकार और भू-राजनीतिक विशेषज्ञ दिमित्री त्रेनिन का कहना है कि तीसरा विश्वयुद्ध चुपचाप शुरू हो चुका है। उनके मुताबिक, ये लड़ाई बंदूकों और टैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध, डिजिटल निगरानी और वैचारिक ध्रुवीकरण जैसे कई आयाम शामिल हैं। ये युद्ध अलग-अलग महाद्वीपों में, अलग-अलग रूपों में लड़ा जा रहा है। और यह पूरी सभ्यताओं के बीच टकराव जैसा बन गया है। पश्चिमी गठबंधन एक ओर है और रूस-चीन-ईरान जैसे यूरोशियन ताकतों दूसरी ओर। तो यह युद्ध दिखता कैसा है? इसमें कौन-कौन शामिल हैं? और इसके मोर्चे कहां-कहां पर हैं? आइए विस्तार से समझते हैं।

पूर्वी यूरोप: यूक्रेन युद्ध इस संघर्ष का केंद्र

इस कथित तीसरे विश्वयुद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा पूर्वी यूरोप है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच बीते तीन वर्षों से जोरदार युद्ध जारी है। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नाटो के अन्य देशों से लगातार हथियार, ट्रेनिंग और वित्तीय मदद मिल रही है। हालांकि ये युद्ध जमीन पर पारंपरिक हथियारों से लड़ा जा रहा है मगर इसके साथ-साथ साइबर हमले, सूचना युद्ध, सैटेलाइट जासूसी और डिजिटल निगरानी जैसे आधुनिक मोर्चे भी खुल चुके हैं। ये संघर्ष अब महज दो देशों के बीच नहीं रहा बल्कि वैश्विक शक्तियों के आमने-सामने की लड़ाई बन चुका है। मध्यपूर्व इस युद्ध का दूसरा सबसे सक्रिय और असममित मोर्चा बन चुका है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में जोषण युद्ध के साथ-साथ अब ईरान और हिज्रबुल्लाह

ब्रिटेन में सूखे से संकट.. यहां स्विमिंग पूल भरने और गाड़ी धोने पर लगी पाबंदी



लंदन:

ब्रिटेन के वेस्ट और ईस्ट मिडलैंड्स इलाकों में सूखे की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। देश में रिकॉर्ड गर्मी और बेहद कम बारिश के चलते जल संकट गंभीर होता जा रहा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो पानी की आपूर्ति को लेकर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। जल और बाढ़ मामलों की राज्य मंत्री एमा हार्डी ने कहा है कि हम एक जिम्मेदार सरकार हैं और पूरी गंभीरता से हालात से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रही है और जनता से भी सहयोग की अपील की जा रही है। होजपाइप बैन यानी 'टेम्पररी यूज बैन' के तहत लोग अपने बगीचों को पानी देने, गाड़ियों की सफाई या स्विमिंग पूल भरने जैसे काम नहीं कर सकते। हालांकि सूखे की घोषणा अपने आप में होजपाइप बैन लागू नहीं करती, लेकिन इससे संबंधित इलाकों में जल कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक अस्थायी इस्तेमाल पर रोक लगा सकती हैं।

यॉर्कशायर वाटर पहले ही बैन लागू कर चुकी है। इसके अलावा केंट, ससेक्स, स्विंडन, ग्लोस्टरशायर, ऑक्सफोर्डशायर, बर्कशायर और विल्टशायर जैसे क्षेत्रों में भी यह प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

नदियों में पानी की कमी और बारिश का संकट

पर्यावरण एजेंसी का कहना है कि मिडलैंड्स की कुछ नदियों में जून महीने में पानी का बहाव १९७६ के बाद सबसे कम रहा है। वहीं देशभर में जून में औसत से २०३ कम बारिश हुई और यह अब तक का सबसे कम जून भी रहा। इंग्लैंड में जलाशयों का स्तर लगातार गिर रहा है। अभी यह औसतन ७५.६३ है, जबकि यॉर्कशायर में यह महज ५३.८३ पर पहुंच गया है। नेशनल ड्राफ्ट ग्रुप, जिसमें पर्यावरण एजेंसी, मौसम विभाग, सरकार और जल कंपनियां शामिल हैं, ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो और भी कड़े प्रतिबंध लागू जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जनता को पानी के सही इस्तेमाल के लिए आगे आना होगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है।

पनीर खाने से रुक जाता है बढ़ती उम्र का असर

पनीर किस तरह से खाएं कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले... यह बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। आप चाहती हैं कि आपकी त्वचा प्राकृतिक रूप से सुंदर और चमकदार बने तो आपको आयुर्वेद के अनुसार पनीर का सेवन करना चाहिए।

पनीर खाने की सही विधि

आप प्लेन पनीर खाएं। स्ट्रेट के लिए इस पर काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर या चाट मसाला जैसी चीजें उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नमक नहीं।

पनीर खाने के फायदे

पनीर प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। इसलिए यह आपकी त्वचा के साथ ही आपके बालों और हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। लेकिन यहां हम बात करेंगे सिर्फ त्वचा के बारे में। पनीर खाने से आपकी स्किन को क्या-क्या फायदे होते हैं और कितना मात्रा में आप हर दिन पनीर का सेवन कर सकती हैं।

त्वचा में कसाव लाने और इसे झुर्रियों से मुक्त रखने के लिए आपके शरीर को नियमित रूप से कैल्शियम और प्रोटीन की जरूरत होती है। पनीर आपके शरीर की इस जरूरत को पूरा करता है। बात करें मात्रा की तो २० साल से अधिक उम्र के लोग हर दिन एक छोटी कटोरी पनीर



का सेवन कर सकते हैं। हर दिन १०० ग्राम पनीर का सेवन आपकी सेहत को लाभ देता है। आप इसे किसी भी समय खा सकते हैं, बस रात को सोने से कम से कम एक घंटा पहले खा लें।

स्किन का ग्लो बढ़ाएं

पनीर का सेवन आपकी स्किन का ग्लो बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन आपकी त्वचा की नई कोशिकाओं को बनाने और पुरानी कोशिकाओं की रिपेयरिंग स्पीड को फास्ट करने का काम करता है। इससे आपकी त्वचा डल और मुरझाई हुई नजर नहीं आती है।पनीर में लेक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को नीचरल चमक देने के काम करता है। इससे स्किन का ग्लो मेंटेन रहता है। लेक्टिक एसिड स्किन सेल्स को अंदर से हील करने में मदद करता है।

मुलायम रहती है त्वचा

नियमित रूप से पनीर खाने से त्वचा बहुत मुलायम रहती है।

इसकी वजह है पनीर में पाई जाने वाली प्राकृतिक चिकनाई। पनीर में बहुत ही संतुलित मात्रा में चिकनाई होती है। जो आपके शरीर का फैट बढ़ाने का काम नहीं करती बल्कि आपके शरीर को नैचरल लुब्रिकेंट लेवल बनाए रखने में मदद करती है। इससे आपकी त्वचा में रूखेपन की समस्या नहीं होती है। यदि आपकी स्किन ड्राई प्रकृति की है तो आप हर दिन पनीर खाने के साथ ही एक चम्मच प्लेन पनीर लेकर इससे अपनी त्वचा की मसाज भी कर सकती हैं। इससे स्किन सॉफ्ट भी रहेगी और ग्लो भी बढ़ेगा। साथ ही झाईयां नहीं आएंगी। अगर आप वेटलॉस डाइट पर हैं तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि पनीर आपका फैट बढ़ाने का काम नहीं करता है। बल्कि सही विधि से और सही मात्रा में खाने पर यह आपके शरीर में पोषण की कमी को दूर करता है।

गाजर खाना शरीर के लिए कितना फायदेमंद है

कैंसर के खतरे को कम करता है

फालकैरोनॉल गाजर में मिलने वाला एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कई प्रकार के कैंसर को रोकता है। लेकिन ये खाखतौर पर ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। दरअसल, ये कंपाउंड सेल्स में होने वाले असाधारण ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा इसमें पॉली एसिटिलीव होता है जो कि एंटी कैंसर की तरह काम करता है। साथ ही रोजाना एक गाजर खाने से आपके शरीर के सेल्स और टिशूज हेल्दी रहते हैं और शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है।

इम्यूनिटी बढ़ाता है

गाजर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो कि मेटाबोलिज्म को मजबूत करते हैं और आंतों के गुड बैक्टीरिया को हेल्दी रखते हैं। इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। पर गाजर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट

रात में सोने से पहले जरूर करें पैरों की मालिश, मिलेंगे फायदे

दिनभर की थकान के बाद कई बार लोग इतना ज्यादा थक जाते हैं कि उन्हें रात में नींद तक नहीं आती। ऐसे में नींद पूरी ना होने के कारण आप बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक थकान होने पर पैरों के तलवों का मालिश करने से आपको सुकून भरी नींद मिल सकती हैं। इसके साथ ही पैरों की मालिश करने से कई



तरह के रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है।

- रात में सोने से पहले पैरों की सरसों के तेल से मालिश

होती है जो मुँह के छालों को नमी प्रदान करता है और उसे सूखने से बचता है। अगर आप शहद के साथ एक चुटकी हल्दी मिलकर लगाएं तो मुँह के छालें जल्दी ठीक हो जायेंगे।

अच्छे परिणाम के लिए दिन में ३-४ बार इसे लगाएं।

- एलोवेरा जूस** : एलोवेरा में बहुत से अच्छे और गुणकारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं।छालों में एलोवेरा लगाने से

और एंटीइंफ्लेमेटी गुण होते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसका बीटी कैरोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शरीर को कई संक्रामक बीमारियों से बचाने का काम करता है। साथ ही ये कंपाउंड किसी बीमारी के बाद शरीर में रिकवरी में तेजी लाता है।

लिवर के लिए फायदेमंद

गाजर लिवर सिरोसिस को कम करने में मददगार है। गाजर के बीटा कैरोटीन लिवर की सेल्स को अंदर से हेल्दी रखते हैं। साथ ही इसका फाइबर इसके काम काज को सही रखने में मदद करता है। इसलिए जिन लोगों का लिवर कमजोर है उन्हें रोज एक गाजर जरूर खाना चाहिए या फिर गाजर का जूस बना कर पिएं। पर ध्यान रहे कि ज्यादा मात्रा में भी गाजर का सेवन ना करें क्योंकि इससे लिवर में टॉक्सिन बढ़ सकते हैं और आपको

नुकसान भी हो सकता है।

आंखों के लिए फायदेमंद

आपके घर में किसी की भी आंखें कमजोर हैं तो उन्हें रोज एक गाजर खाने को कहें। दरअसल, गाजर आंखों के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। दरअसल, गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है, जो आंखों की समस्याओं को कम कर सकता है। साथ ही ये हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मददगार है। इसके अलावा गाजर का विटामिन-सी मैकयूलर डीजेनरेशन को कम करता है और आंखों लंबे समय के लिए स्वस्थ बनाने में मदद करता है।

स्किन के लिए फायदेमंद

ल्यूक कॉन्टिनहो कहते हैं कि अगर

पसीने द्वारा शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है।

- आपको दिनभर की थकान से निजात दिलाकर, आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर सुकून देता है, जिससे आप अच्छी नींद ले पाते हैं। तनाव और सिरदर्द से निजात पाने के लिए भी यह एक बेहतरीन तरीका है।

- एक्यूप्रेशर थेरेपी के मुताबिक, पैर के तलवे में अलग-अलग बिंदुओं का ऐसा करें। इसके अलावा चाहे तो आप मेथी के पत्तों का भी उपयोग कर सकते है। मेथी के पत्तों को उबाल कर उससे दिन में दो बार गरारा करें। इससे भी आपको मुँह के छालों से जल्द राहत मिल जाएगी।

● नारियल तेल : नारियल तेल एक बहुत ही गुणकारी चीज़ होती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी-इन्फ्लेमटरी, एंटी-फंगल और एंटी-वाइरल गुण होता है। ये छालों का दर्द कम करने

आप एक ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो आपको रोजाना एक गाजर जरूर खाना चाहिए। हालांकि, आप गाजर का जूस भी पी सकते हैं। गाजर स्किन एंजिंग को कम

करने में मदद करते हैं। दरअसल, गाजर का बीटा-कैरोटिन एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स और यूवी किरणों के नुकसान से बचाता है। ये झुर्रियां और फाइन लाइन्स से कमी लाते हैं। साथ ही ये पिगमेंटेशन कम करने में भी मददगार है।

गाजर को आप सलाद में चबा-चबा कर खाएं। ब्रेकफास्ट में आप गाजर का जूस पी सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर उबाल कर, मैश करके और सूप बना कर खा सकते हैं। लेकिन अगर आप गाजर का हलवा बना कर खा रहे हैं तो वेलनेस कॉच ल्यूक कॉन्टिनहो का कहना है कि आप इसे देसी घी और गुड़ डाल कर बनाएं।

संबंध शरीर के अलग-अलग अंगों से होता है। पैरों की मालिश करने से इन सभी अंगों को स्वस्थ रखा जा सकता है।

- पैरों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए मालिश एक अच्छा विकल्प है। इससे रक्तसंचार बेहतर होता है और पैरों की त्वचा पहले से बेहतर हो जाती है। अगर मालिश के लिए नारियल, बादाम, तिल या अलसी का तेल से की जाए तो इससे पैर सुंदर दिखते हैं।

संबंध शरीर के अलग-अलग अंगों से होता है। पैरों की मालिश करने से इन सभी अंगों को स्वस्थ रखा जा सकता है।

- पैरों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए मालिश एक अच्छा विकल्प है। इससे रक्तसंचार बेहतर होता है और पैरों की त्वचा पहले से बेहतर हो जाती है। अगर मालिश के लिए नारियल, बादाम, तिल या अलसी का तेल से की जाए तो इससे पैर सुंदर दिखते हैं।

संबंध शरीर के अलग-अलग अंगों से होता है। पैरों की मालिश करने से इन सभी अंगों को स्वस्थ रखा जा सकता है।

- पैरों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए मालिश एक अच्छा विकल्प है। इससे रक्तसंचार बेहतर होता है और पैरों की त्वचा पहले से बेहतर हो जाती है। अगर मालिश के लिए नारियल, बादाम, तिल या अलसी का तेल से की जाए तो इससे पैर सुंदर दिखते हैं।

मुँह में छालों को ठीक करने का घरेलु उपाय

मुँह के छाले लगभग सभी को हुए ही होंगे कभी न कभी। ये काफ़ी दर्दनाक होते है और इसकी वजह से खाने पीने में भी तकलीफ होती है। मुँह में अगर एक बार छाले हो गए तो कम से कम एक हफ्ते तक तो रहते ही है। इनकी वजह से ना हम ठीक से खा पी पाते है ना ब्रश क्र पाते

है ना ही चैन से रह पाते है।

- मुँह में छालो के होने की वजह** : मुँह में छालों के होने की बहुत सारी वज़ह हो सकती है, उनमे से कुछ है -
१. विटामिन सी की कमी
२. दूध ब्रश से मुँह में चोट लगना
३. डेंटल ब्रेसेज
४. अनिद्रा और स्ट्रेस

५. किसी का झूठा खाने से
६. ठीक से ब्रश ना करने से आदि
इन किन्ही कारणों से अगर आपके मुँह में छालें पड़ गए हो तो आप कुछ घरेलु उपाए कर के घर पर ही इसे ठीक कर सकते है और जल्द से जल्द आराम पा सकते है। आइये जानते है मुँह के छालों को



ठीक करने के घरेलु और आसान उपाए -

- शहद** : शहद एक बहुत अच्छा और असरदार उपाए है मुँह के छालों के लिए। शहद में एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़

(पृष्ठ १ पर से..)

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग

वाले पर्यावरणीय प्रभावों का डर है. रैली के वीडियो में कम से कम एक हज़ार लोग गेकू के एक मैदान में इकट्ठा हुए और बाद में गांव की सड़कों पर विरोध मार्च निकालते हुए दिखाई दिए. मार्च के दौरान नारे लगाए, ‘हमें न्याय चाहिए’, ‘गतिविधियों को हटाओ’, ‘बांध नहीं, पीएफआर नहीं’ और ‘भारत माता की जय’. इलाके में पुलिस और सशस्त्र बलों की तैनाती के बीच यह शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को १४ जुलाई को लिखे एक पत्र में सियांग स्वदेशी किसान मंच (एसआईएफएफ) ने परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफए) और सभी डूब गांवों के निवासियों की ओर से परियोजना के साथ-साथ प्री-फिजिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) गतिविधियों को हटाने का कड़ा विरोध व्यक्त किया, जिसे सरकार लोगों की सहमति के बिना संचालित कर रही है. पत्र में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा अपने आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर एकाउंट पर किए गए दावे, जिनमें कहा गया है कि रीगा के ग्रामीणों ने अपनी सहमति दे दी है, ‘तथ्यात्मक रूप से गलत है’ और गांव और जनजातीय परिषद ने अपनी सहमति नहीं दी थी, और किसी भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा गांव में कोई सार्वजनिक बैठक नहीं की गई थी. पत्र में दावा किया गया है, ‘मम लगातार हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों और प्रभावित समुदायों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी को लेकर बेहद चिंतित हैं. हमारे लगातार प्रयासों के बावजूद राज्य के अधिकारियों ने डूब प्रभावित गांवों की चिंताओं का पर्याप्त समाधान नहीं किया है. इसके बजाय माननीय मुख्यमंत्री और ओजिंग तासिंग जैसे अन्य विधायकों द्वारा प्रचारित एक झूठा विमर्श परियोजना के प्रति सामुदायिक समर्थन की भ्रामक तस्वीर पेश करता है. ‘इसमें प्रधान सचिव से आग्रह किया गया है कि वे मंगलवार (१५ जुलाई) को आयोजित होने वाली बैठक में परियोजना के प्रति ‘व्यापक विरोध’ सहित प्रधानमंत्री के समक्ष सटीक जमीनी हकीकत प्रस्तुत करें. इसमें आग्रह किया गया है कि, ‘हमें पूरी उम्मीद है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों और जलमग्न गांवों की चिंताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, तथा भ्रामक प्रस्तुतियों के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा.’ एसआईएफएफ की युवा शाखा द्वारा १४ जुलाई को प्रमुख सचिव को लिखे गए एक अन्य पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि लोग परियोजना के पीएफआर के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती के खिलाफ अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर हैं. इस असंवैधानिक प्रथा की निंदा करते हुए पत्र में आगे कहा गया कि वे, सियांग के आदि लोग, आने सियांग (बड़ी सियांग नदी) पर बांध नहीं बनाना चाहते और न ही अपनी मातृभूमि से विस्थापित होना चाहते हैं.’ आदि उन प्रमुख जनजातीय समुदायों में से एक है जो उस क्षेत्र में रहते हैं जहां सियांग बांध प्रस्तावित है. पत्र में आग्रह किया गया है कि परियोजना प्रस्ताव को रद्द किया जाए और परियोजना से जुड़ी सभी गतिविधियों को रोक दिया जाए. इसमें कहा गया है, ‘जब

तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.’ गौरतलब है कि इस साल २३ मई से ग्रामीण परियोजना के पहले चरण – प्री-फिजिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) के लिए एक अध्ययन – को लागू करने के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जैसा कि द वायर ने पहले रिपोर्ट किया था, प्रदर्शनकारियों ने सेना को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक पुल को भी जला दिया था. अपर सियांग परियोजना – जो अगर बन जाती है तो भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी– विस्थापन, घर्षों और कृषि भूमि के नुकसान जैसी चिंताओं के साथ-साथ समृद्ध जैव विविधता के नुकसान जैसे पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा, एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में प्रस्तावित है.

पुणे की पत्रकार स्नेहा बर्वे पर रिपोर्टिंग के दौरान

घटनास्थल पर गई थी. मैंने वहां तस्वीरें ली थीं और अपनी स्क्रिप्ट तैयार की थी. मैं उनका बयान भी लेना चाहती थी. लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया और अचानक मुझे पीटना शुरू कर दिया. ‘पांडुरंग मोर्डे एक स्थानीय व्यापारी हैं, जिनके शिवसेना के शिंदे गुट और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अजित पवार गुट, दोनों के साथ मजबूत राजनीतिक संबंध हैं. मोर्डे का आपराधिक रिकॉर्ड भी है. उन पर क्रमशः २००३ और २००७ में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है. एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है और दूसरा मामला अभी लंबित है. फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं. उल्टेखनीय है कि इस हमले को लेकर अभी तक किसी भी राजनीतिक पक्ष का कोई बयान सामने नहीं आया है. गौरतलब है कि बर्वे ने आठ साल पहले अपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी. उन्होंने अपना प्रकाशन और यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला किया. बर्वे ने कहा, ‘मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं और मैंने बहुत सारे घोटालों का पर्दाफाश किया है. इस क्षेत्र में ऐसा काम कोई और नहीं करता. ‘बर्वे इन विवादों से अनजान नहीं हैं. पिछले लुलाई में शिरूर के पूर्व सांसद शिवाजीराव अधलराव पाटिल द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उन्होंने अंबेगांव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पाटिल ने आरोप लगाया था कि उनकी रिपोर्टिंग के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस बातचीत की एक वीडियो रिकॉर्डिंग स्थानीय टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित की गई थी. ताज़ा हमले को लेकर उन्होंने कहा, ‘मैं अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी. मुझे पर हमला किसी भी महिला, किसी भी पत्रकार पर हो सकता है,’ गौरतलब है कि स्नेहा बर्वे पर हुआ हमला देश में प्रेस की आज़ादी की नाजुक स्थिति को दर्शाता है, खासकर उन इलाकों में, जहां पत्रकारों को स्थानीय सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर रिपोर्ट करने की हिम्मत करने पर तुरंत हिंसक प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है. पिछले साल, रिपोर्टरस विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि २०१४ से भारत में मारे गए २८ पत्रकारों में से कम से कम १३ पर्यावरण संबंधी विषयों मुख्यतः ज़मीन पर कब्ज़ा, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर काम कर रहे थे, ‘प्रेस एंड प्लैनेट इन डेंजर, २०२४’ रिपोर्ट में यूनेस्को ने अपने विश्लेषण में ऐसे उदाहरण उजागर किए, जिनमें २००९-२०२३ की अवधि में पर्यावरणीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले कम से कम ७४९ पत्रकारों और समाचार मीडिया संस्थानों को हत्या, शारीरिक हिंसा, हिरासत और गिरफ्तारी, ऑनलाइन उत्पीड़न या कानूनी हमलों

का निशाना बनाया गया. २०१९-२०२३ के बीच ३०० से ज्यादा हमले हुए – जो पिछले पांच वर्षों (२०१४-२०१८) की तुलना में ४२३ अधिक हैं. पिछले १५ वर्षों में कम से कम ४४ पत्रकारों ने पर्यावरणीय मुद्दों की जांच की है, जिनमें से केवल ५ मामलों में ही दोषसिद्ध हुई है. यानी लगभग ९०३ मामलों में कुछ नहीं हुआ. बर्वे मामले में भी स्थानीय पत्रकारों ने, जो हमले का विरोध करने की योजना बना रहे हैं (नीचे पोस्टर देखें), ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की और मोर्डे को गिरफ्तार करने में देरी की. समय भारत परिवार, जो अखबार प्रकाशित करता है और यूट्यूब चैनल प्रसारित करता है, के निदेशक डॉ. समीर राजे ने कहा कि पुलिस ने जांच को बहुत हल्के में लिया. स्नेहा एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन जब वह होश में आई, तो उन्होंने अपनी शिकायत पुलिस में की. हालांकि, पुलिस ने कहा कि हमले में घायल हुए अन्य लोगों ने पहले ही शिकायत दर्ज करा दी थी. हमले की जघन्य प्रकृति के बावजूद शिकायतकर्ता सुधाकर बाबूराव काले द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में केवल गंभीर चोट, धमकी, गैरकानूनी जमावड़ा और धमकी (भारतीय न्याय संहिता की धारा ११८ (२), ११५ (२), १८९ (२), १९१ (२), १९० और ३५१ (२) से संबंधित धाराएं सूचीबद्ध हैं, ये सभी ऐसे अपराध हैं, जिनके लिए अधिकतम एक से दो साल की सजा का प्रावधान है! इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने एफएससी को बताया कि मोर्डे को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है. उन्होंने दावा किया है कि मोर्डे को फ्रैक्चर हुआ है और वे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती हैं. गिल ने आगे कहा, ‘जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलेगी, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे. उनके परिवार के अन्य सदस्यों (उसके बेटे प्रशांत और नीलेश मोर्डे) सहित लगभग चार-पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है.’ मालूम हो कि स्थानीय पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोर्डे नदी के किनारे एक दीवार का निर्माण कर रहे थे और स्थानीय लोगों को डर था कि मोर्डे एक भ्रैक्चर हैं. हालांकि, जांच से यह पता चलेगा कि यह सार्वजनिक भूमि पर था या नहीं. गिल ने कहा, ‘मुख्य आरोपी ने पांच भाइयों की ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था और हमें पता चला है कि उनमें से चार ने ज़मीन बेच दी, लेकिन एक भाई ने नहीं. संभवतः, उनके रिश्तेदारों ने पत्रकार को सूचित किया होगा कि मोर्डे सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की पूरी जांच करेगी. उन्होंने यह भी बताया कि वीडियो देखते ही उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी को घटनास्थल पर भेज दिया था. गिल के अनुसार, ‘अगर उन्हें लगता भी था कि वीडियो से उनकी बदनामी हो रही है, तो वे पुलिस में शिकायत कर सकते थे या उपलब्ध संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते थे. वह हिंसा का सहारा नहीं ले सकते. उन्हें किसी पर भी हमला करने का कोई अधिकार नहीं है.’ गिल ने आश्वासन देते हुए कहा, ‘हां, अपराध दर्ज करना जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है, लेकिन कभी-कभी तुरंत हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है. वह चाहती थीं कि हम उनकी शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज करें, लेकिन हम एक ही घटना के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं करते और उस समय, वह बयान देने की स्थिति में नहीं थीं. हमने उस व्यक्ति का बयान लिया, जिसे चोट लगी थी. हमने उनसे एक विस्तृत बयान दर्ज करने को कहा है और जरूरत पड़ने पर हम धारा बढ़ा देंगे. मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करूंगा.’

फाइव स्टार होटल और कई अश्लील

सूत्रों का कहना है कि संबंधित महिला के पास कई अधिकारियों के वीडियो मौजूद हैं. इसी कारण से कोई भी अधिकारी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है, जिससे पूरा मामला दबा हुआ है. सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस मामले में नासिक के एक बड़े अधिकारी के अलावा मुंबई और पुणे के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी और नेता शामिल हो सकते हैं. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संबंधित जांच एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही हैं. वहीं, ठाणे अपराध शाखा के पास तीन गंभीर शिकायतें दर्ज की गई हैं. इन तीनों मामलों में शिकायतकर्ताओं ने खुद को हनीट्रैप में फंसाने का आरोप लगाया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन शिकायतों की गोपनीय और उच्चस्तरीय जांच जारी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नासिक से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी, नवी मुंबई के एक व्यक्ति और ठाणे की एक प्रमुख हस्ती ने ये शिकायतें की हैं. इन तीनों शिकायतों में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और पुलिस विभाग इन मामलों की पूरी संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ जांच रहा है. हालांकि ठाणे पुलिस की ओर से इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अंदरखाने यह मामला गंभीर रूप से लिया जा रहा है और जांच का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है.

२१ जुलाई से संसद का मानसून सत्र

दौरान कुल २१ बैठकें प्रस्तावित हैं. सत्र के दौरान पहलगाम आतंकी हमले, जट्टिस यशवंत बर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर भी बहस की संभावना जताई जा रही है. संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार को कई मुद्दों पर घेरेने की योजना बना रही है. विश्वेश दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी निर्वाचन आयोग के कदम पर कड़ी आपत्ति जता सकते हैं. इसके अलावा कांग्रेस पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कूटनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की मांग भी करती रही है.

लंबे इंतजार के बाद अमीना को मिली पीएम आवास योजना की के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की. शिकायत के बाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (अड्डेध), खागड़िया ने संबंधित लीड बैंक मैनेजर और प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोगरी को नोटिस जारी किया और समाधान के उपरांत सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि बैंक की लापरवाही से यह राशि गलत व्यक्ति के खाते में चली गई थी. जिला लोक शिकायत पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी योजना के तहत प्राप्त सहायता राशि का ऋण वसूली में उपयोग करना अनैतिक है और इससे लाभार्थी जीवन भर बेघर रह सकती है. उन्होंने कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि वास्तविक लाभार्थी अमीना खातून के खाते में तुरंत राशि ट्रांसफर की जाए. इस निर्देश के बाद बैंक ने अपने मुख्यालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर राशि को अमीना खातून के खाते में अंततः स्थानांतरित कर दिया. वर्षों की कड़वाई के बाद जब उन्हें अपना हक मिला, तो उनकी आंखों की चमक और चेहरे पर संतोष की मुस्कान ने इस अधिनियम की उपयोगिता और संवेदनशील प्रशासन की गवाही दी. यह सफलता न केवल एक शिकायत के समाधान की कहानी है, बल्कि यह बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सशक्त भूमिका, प्रशासन की जवाबदेही और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

Passport no. L698518

Passport no. L698518